

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-179/2025 दिनांक 28.06.2025)
***दिनांक-28.06.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अन्तर्जनपदीय चोरी/नकबजनी गैंग का पर्दाफाश, चोरी गये अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये के सामान जिसमें चोरी के जेवरात,लैपटाप,मोबाईल फोन, घटना में प्रयुक्त वाहन,अन्य चोरी के उपकरण तथा 55,700/- रुपये नगद बरामद तथा 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को थाना कोतवाली हाटा व स्वाट टीम द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक अभियुक्त सोनार है जो चोरी के आभूषण खरीदता था। अभियुक्तों के पास से चोरी गये अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये के सामान की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इनका एक संगठित गिरोह है। जो जनपद कुशीनगर व सीमावर्ती जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिये है। अभियुक्तगण दिन के समय मोटरसाइकिलों से रेकी कर दुकानों को चिह्नित करते हैं। रात में वे चिह्नित दुकानों पर पहुंचकर गृह भेदन के उपकरणों (जैसे लोहे की रॉड, पेचकस, ताला तोड़ने के यंत्र) से शटर तोड़कर चोरी करते हैं। इसी क्रम में ये लोग जनपद कुशीनगर के थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत तीन स्थानों पर व को0 हाटा क्षेत्रान्तर्गत एक स्थान पर चोरी की घटना को अंजाम दिये थे। चोरी का माल (नकदी, आभूषण, लैपटॉप, मोबाइल आदि) बेचकर वे धन अर्जित करते हैं, जिसे व्यक्तिगत ऐशो-आराम और अन्य अवैध गतिविधियों में खर्च करते हैं। साथ ही चोरी के आभूषण को अभियुक्त मिथिलेश



वर्मा(सोनार) को बेच देते थे।

अनावरित/पंजीकृत अभियोग:-

1-मुं0अ0सं0- 383/2025 धारा- 331(4)/305 बीएनएस थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

2-मुं0अ0सं0- 197/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

3-मुं0अ0सं0- 239/2025 धारा- 331(4)/305 बीएनएस थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

4-मुं0अ0सं0-270/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-संदीप कुशवाहा पुत्र भरत कुशवाहा ग्राम कोटवां बसावन टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया

2- सन्नी कुमार सिंह पुत्र ब्रह्मा शंकर सिंह निवासी कोटवा थाना महुआडीह जनपद देवरिया

3- दीपक सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी सहोदर पट्टी थाना महुआडीह जनपद देवरिया

4- मिथिलेश वर्मा पुत्र महावीर वर्मा निवासी सहोदर पट्टी थाना महुआडीह आवासीय पता डुमरी एकखलास थाना महुआडीह देवरिया (सोनार)

विवरण बरामदगी- ***(कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये)***

1-मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गये नगद रूपये 55,700/- रुपये नगद (सम्बन्धित माल मुकदमाती भिन्न-भिन्न के)

2-चोरी के आभूषण पीली धातु 10.2 ग्राम (कीमत लगभग 1 लाख रूपये)

3-सफेद धातु के आभूषण कुल 1377 ग्राम (कीमत लगभग 1 लाख 30 हजार रूपये)

4- चार अदद लैपटाप चोरी के (भिन्न भिन्न कम्पनी)

5-तीन अदद बैट्री

6-दो अदद इन्वर्टर

7-एक अदद वेल्डिंग मशीन

8-गृह भेदन हेतु उपकरण

9-चोरी के अपराध मे अभियुक्तगणों द्वारा प्रयुक्त 4 अदद मोबाइल भिन्न भिन्न कम्पनी के

10-अपराध मे प्रयुक्त 2 अदद मोटरसाइकिल (पल्सर व अपाची)

अभियुक्त संदीप कुशवाहा का आपराधिक इतिहास-



1. मु0अ0सं0 113/2022 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 299/2022 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कसया, जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 66/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महुआडीह जनपद देवरिया
4. मु0अ0सं0 325/2022 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
5. मु0अ0सं0 579/2023 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
6. मु0अ0सं0 593/2023 धारा 401/411/413 भा.द.वि. व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 हाटा
7. मु0अ0सं0 324/2023 धारा 457/380 भा.द.वि. थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
8. मु0अ0सं0 249/2023 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
9. मु0अ0सं0 379/2023 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
10. मु0अ0सं0 324/2023 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
11. मु0अ0सं0 637/2023 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कसया जनपद कुशीनगर
12. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज
13. मु0अ0सं0 66/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना कप्तानगंज
14. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना को0 हाटा
15. मु0अ0सं0 60/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना को0 हाटा
16. मु0अ0सं0 67/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना को0 हाटा
17. मु0अ0सं0 89/2024 धारा 457/380/411/414 भा.द.वि. थाना को0 हाटा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 2- प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर



- 3- निरीक्षक अमित शर्मा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 4- उ0नि0 आलोक कुमार स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 5- उ0नि0 संतराज यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 6- उ0नि0 इकराम खाँ थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 7- उ0नि0 राजू यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
- 8- उ0नि0 आशीष कुमार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 9- उ0नि0 रंजीत सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 10- उ0नि0 मार्केण्डेय सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 11- हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 12- हे0का0 संतोष सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 13- हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 14- हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 15- हे0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
- 16- का0 ऋषि पटेल स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

नोट- सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000/- रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 211/2025 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त समीर अली पुत्र रहीस अली साकिन ग्राम बड़वा छापर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

समीर अली पुत्र रहीस अली साकिन ग्राम बड़वा छापर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 211/2025 धारा 64(1)/351(2) भा0न्या0सं0 व 3/ 4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अंकित सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर



2. का0 विशाल सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. का0 रामनिवास यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.06.2025 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0-3005/11, धारा 323,504,506 भादवि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र इन्द्रासन सा0 पकड़ियार पूरब पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0-3005/11, धारा 323,504,506 भादवि0 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

विश्वनाथ पुत्र इन्द्रासन सा0 पकड़ियार पूरब पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0श्री मिथिलेश प्रजापति थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 मुनायन यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा एक अदद पिकअप वाहन (कीमत लगभग 7 लाख रूपये) की सम्पत्ति धारा 5 ए गोवध निवारण अधिनियम के तहत की गयी जब्त-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2025 को थाना अहिरौली बाजार की पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त प्रविन्द शर्मा उर्फ द्विने शर्मा पुत्र व्यास

शर्मा साकिन बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद पिकअप बिना नम्बर प्लेट की जिसका चैचिस नं0 MB1AA22EXRRMU8933 व इंजन नं0 MRH204731P (कीमत लगभग 7 लाख रूपये) को धारा 5 ए गोबध अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया ।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

पिकअप बिना नम्बर प्लेट की जिसका चैचिस नं0 MB1AA22EXRRMU8933 व इंजन नं0 MRH204731P (कीमत लगभग 7 लाख रूपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय दूबे थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री राजनारायन यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 अनिल कुमार यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 65 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-41 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-84, व्यक्ति-475
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-71)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

